माला, खंड 46, अंक 1

मंगलवार, 21 फरवरी, 1989
2 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 17/7/89

(खंड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 21 फरवरी, 1989/2 फाल्गुन, 1910 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
13	नीचे से 12	"राष्टपति" के स्थान पर "राष्ट्रपति" पढ़िये।
19	16	"अरविन्द नेतराम" के स्थान पर "अरविन्द नेताम" पढ़िये।

[अंग्रेजी सस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा ।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 46, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 1, मंगलवार, 21 फरवरी, 1989/2 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रपति का अभिभाषण	1—11
सभा पटल पर रखा गया	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	12—13
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	13—18
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	
रेल विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति प्रतिवेदन	19
रेल विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति साक्ष्य	19

आठवीं लोक सभा के सदस्यों की वर्णानुक्रमानुसार सूची

अ

अंजैया, श्रीमती मनेम्मा (सिकन्दराबाद)
अंसारी, श्री अब्दुल हन्नान (मधुबनी)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अख्तर हसन, श्री (कैराना)
अग्रवाल, श्री जय प्रकाश (चांदनी चौक)
अठवाल, श्री चरनजीत सिंह (रोपड़)
अडईकलराज, श्री एल० (तिरुचिरापल्ली)
अताउर्रहमान, श्री (बारपेटा)
अतीतन, श्री आर० धनुषकोडी (तिरुचेन्दूर)
अप्पालानरसिंहम, श्री पी० (अनकापल्ली)
अब्दुल गफूर, श्री (सीवन)
अब्दुल हमीद, श्री (धुबरी)
अब्दुल्ला, बेगम अकबर जहां (अनन्तनाग)
अब्बासी, श्री के० जे० (डुमरियागंज)
अय्यर, श्री वी० एस० कृष्ण (बंगलौर दक्षिण)
अरुणाचलम, श्री एम० (टेंकासी)
अलखा राम, श्री (सलुम्बर)
अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)
अहमद, श्रीमती आबिदा (बरेली)
अहमद, श्री सरफराज (गिरिडीह)
अहमद, श्री सैफुद्दीन (मंगलदाई)

आ

आचार्य, श्री बसुदेव (बांकुरा)
आजाद, श्री गुलाम नबी (वाशिम)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)

उ

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्रीमती सुमति (लोहारडागा)

ए

एंथनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
एन्टनी, श्री पी० ए० (त्रिचूर)

ऐ

ऐंगती, श्री बीरेन सिंह (स्वायत्तशासी जिला)

ओ

ओडेदरा, श्री भरत कुमार (पोरबन्दर)
ओडेयर, श्री चनैया (दावनगेर)
ओवेसी, श्री सुल्तान सलाउद्दीन (हैदराबाद)

क

ककाड़े, श्री सांभाजीराव (बारामती)
कण्णन, श्री पी० (तिरुचेंगोडे)
कमल नाथ, श्री (छिंदवाड़ा)
कमला कुमारी, कुमारी (पलामू)
कलानिधि, डा० ए० (मद्रास मध्य)
कल्पना देवी, डा० टी० (वारंगल)
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम (उस्मादाबाद)
काबुली, श्री अब्दुल रशीद (श्रीनगर)
कामत, श्री गुरुदास (बम्बई उत्तर पूर्व)
कामसन, प्रो० मिजिनलंग (बाह्य मणिपुर)
किदवई, श्रीमती मोहसिना (मेरठ)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किस्कू, श्री पृथ्वी चन्द (दुमका)

कुंवर राम, श्री (नवादा)
कुचन, श्री गंगाधर एस० (शोलापुर)
कुजूर, श्री मौरिस (सुन्दरगढ़)
कुन्जम्बु, श्री के० (अडूर)
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के० (कोयम्बटूर)
कुमारमंगलम, श्री पी० आर० (सलेम)
कुरियन, प्रो० पी० जे० (इदुक्की)
कुरूप, श्री सुरेश (कोट्टायम)
कुरेशी, श्री अजीज (सतना)
कुलनदईवेलु, श्री पी० (गोबिचेट्टिपालयम)
कृष्ण कुमार, श्री एस० (क्विलोन)
कृष्ण सिंह, श्री (भिण्ड)
केन, श्री लाला राम (बयाना)
केयूर भूषण, श्री (रायपुर)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कौशल, श्री जगन्नाथ (चण्डीगढ़)
क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई (बीड़)

ख

खत्री, श्री निर्मल (फैजाबाद)
खां, श्री असलम शेर (बेतूल)
खां, श्री आरिफ मोहम्मद (बहराइच)
खां, श्री खुर्शीद आलम (फर्रुखाबाद)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (ऊधमपुर)
खां, श्री मोहम्मद अयूब (झुन्झुनू)
खां, श्री मोहम्मद महफूज अली (एटा)
खिरहर, श्री राम श्रेष्ठ (सीतामढ़ी)
खुर्शीद अहमद, चौधरी (फरीदाबाद)

ग

गंगा राम, श्री (फिरोजाबाद)
गढ़वी, श्री बी० के० (बनासकांठा)
गहलोत, श्री अशोक (जोधपुर)
गांधी, श्री राजीव (अमेठी)
गाडगिल, श्री वी० एन० (पुणे)
गामित, श्री सी० डी० (माण्डवी)
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव (कोल्हापुर)
गायकवाड़, श्री रणजीत सिंह (बड़ौदा)
गावली, श्री सीताराम जे० (दादरा और नगर हवेली)
गावित, श्री माणिकराव होडल्य (नन्दरबार)
गिल, श्री मेवा सिंह (लुधियाना)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (बसीरहाट)
गुप्त, श्री जनक राज (जम्मू)
गुप्त, श्रीमती प्रभावती (मोतीहारी)
गुरड्डी, श्री एस० एम० (बीजापुर)
गुहा, डा० फूलरेणु (कन्टई)
गोपेश्वर, श्री (जमशेदपुर)
गोमांगो, श्री गिरिधर (कोरापुट)
गोस्वामी, श्री दिनेश (गुवाहाटी)
गोहिल, श्री जी० बी० (भावनगर)
गौडर, श्री ए० एस० (पलानी)
गौडा, श्री एच० एन० नन्जे (हसन)
गौडा, श्री के० वी० शंकर (मांड्या)

घ

घोरपडे, श्री एम० वाई (रायचूर)
घोलप, श्री एस० जी० (ठाणे)
घोष, श्री तरुण कान्ति (बारसाट)
घोष, श्री विमल कान्ति (सीरमपुर)
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा (नवद्वीप)
घोषाल, श्री देवी (बैरकपुर)

च

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बोलपुर)

चतुर्वेदी, श्री नरेश चन्द्र (कानपुर)

चतुर्वेदी, श्रीमती विद्यावती (खजुराहो)

चन्नशेखर, श्रीमती एम० (श्रीपेरम्बुदूर)

चन्नशेखरप्पा, श्री टी० बी० (शिमोगा)

चन्नाकर, श्री चन्दू लाल (दुर्ग)

चन्नेश कुमारी, श्रीमती (कांगड़ा)

चव्हाण, श्री अशोक शंकरराव (नान्देड़)

चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)

चार्ल्स, श्री ए० (त्रिवेन्द्रम)

चालिहा, श्री पराग (जोरहाट)

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई के० (आनन्द)

चिदम्बरम, श्री पी० (शिवगंगा)

चौधरी, श्रीमती ऊषा (अमरावती)

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान (माल्दा)

चौधरी, श्री कमल (होशियारपुर)

चौधरी, श्री जगन्नाथ (बलिया)

चौधरी, श्री नन्दलाल (सागर)

चौधरी, श्री मनफूल सिंह (बीकानेर)

चौधरी, श्री समर ब्रह्म (कोकराझर)

चौधरी, श्री सैफुद्दीन (कटवा)

चौबे, श्री नारायण (मिदनापुर)

ज

जगतरक्षकन, डा० एस० (चेंगलपट्टु)

जगन्नाथ प्रसाद, श्री (मोहनलालगंज)

जडेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)

जनार्दनन, श्री कादम्बुर (तिरुनेलवेली)

जयमोहन, श्री ए० (तिरुपत्तूर)

जांगड़े, श्री खेलन राम (बिलासपुर)

जाखड़, डा० बल राम (सीकर)

जाटव, श्री कम्मोदीलाल (मुरैना)

जाफर शरीफ, श्री सी० के० (बंगलौर उत्तर)

जायनल अबेदिन, श्री (जंगीपुर)

जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहांपुर)

जितेन्द्र सिंह, श्री (महाराजगंज)

जीवरत्नम, श्री आर० (आर्कोनम)

जुझार सिंह, श्री (झालावाड़)

जेना, श्री चिन्तामणि (बालासोर)

जैन, श्री डाल चन्द्र (दमोह)

जैन, श्री निहाल सिंह (आगरा)

जैन, श्री वृद्धि चन्द्र (बाड़मेर)

जैनुल बशर, श्री (गाजीपुर)

झ

झांसी लक्ष्मी, श्रीमती एन० पी० (चित्तूर)

झिकराम, श्री एम० एल० (मांडला)

ट

टन्डेल, श्री गोपाल के० (दमन तथा दीव)

टाईटलर, श्री जगदीश (दिल्ली सदर)

ठ

ठक्कर, श्रीमती ऊषा (कच्छ)

ठाकुर, श्री सी० पी० (पटना)

ड

डामर, श्री सोमजी भाई (दोहद)

डिगाल, श्री राधाकांत (फूलबनी)

डेनिस, श्री एन० (नागरकोइल)

डोणगांवकर, श्री साहिबराव पाटिल (औरंगाबाद)

डोरा, श्री एच० ए० (श्रीकाकुलम)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (फिरोजपुर)

त

तंगराजु, श्री एस० (पेरम्बलूर)

तपेश्वर सिंह, श्री (विक्रमगंज)

तम्बि दुराई, श्री एम० (धर्मपुरी)

तांती, श्री भद्रेश्वर (कलियाबोर)

तारिक अनवर, श्री (कटिहार)

तिग्गा, श्री साइमन (खूंटी)

तिरकी, श्री पीयूष (अलीपुरद्वार)

तिलकधारी सिंह, श्री (कोडरमा)

तिवारी, प्रो० के० के० (बक्सर)

तुर, सरदार त्रिलोचन सिंह (तरन तारन)

तुलसीराम, श्री वी० (नगरकुरनूल)

तोमर, श्रीमती ऊषा रानी (अलीगढ़)

त्यागी, श्री धर्मवीर सिंह (मुजफ्फरनगर)

त्रिपाठी, डा० चन्द्र शेखर (खलीलाबाद)

त्रिपाठी, श्रीमती चन्द्रा (चन्दौली)

थ

थामस, प्रो० के० वी० (एरनाकुलम)

थामस, श्री तम्पन (मवेलिकरा)

थंगन, श्री पी० के० (अरुणाचल पश्चिम)

थोटा, श्री गोपाल कृष्ण (काकीनाडा)

थोरट, श्री भाऊसाहिब (पंढरपुर)

द

दण्डवते, प्रो० मधु (राजापुर)

दत्ता, श्री अमल (डायमंड हार्बर)

दर्दी, श्री तेजा सिंह (भटिंडा)

दलबीर सिंह, श्री (शहडोल)

दलवाई, श्री हुसैन (रत्नागिरी)

दाभी, श्री अजीत सिंह (कैरा)

दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)

दास, श्री बिपिन पाल (तेजपुर)

दास, श्री रेणुपद (कृष्णनगर)

दास, श्री सुदर्शन (करीमगंज)

दास मुन्शी, श्री प्रिय रंजन (हावड़ा)

दिग्विजय सिंह, श्री (राजगढ़)

दिग्विजय सिंह, डा० (सुरेन्द्रनगर)

दिघे, श्री शरद (बम्बई उत्तर-मध्य)

दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)

दीक्षित, श्रीमती शीला (कन्नौज)

दुबे, श्री भीष्म देव (बांदा)

देव, श्री वी० किशोर चन्द्र एस० (पार्वतीपुरम)

देव, श्री सन्तोष मोहन (सिलचर)

देवरा, श्री मुरली (बम्बई दक्षिण)

देवराजन, श्री बी० (रसिपुरम)

देवी, प्रो० चन्द्र भानु (बलिया)

ध

धारीवाल, श्री शांति (कोटा)

न

नटराजन, श्री के० आर० (डिंडिगुल)

नटवर सिंह, श्री के० (भरतपुर)

नवल प्रभाकर, श्रीमती सुन्दरवती (करौल बाग)

नामग्याल, श्री पी० (लद्दाख)

नायक, श्री जी० देवराय (कनारा)

नायक, श्री शांताराम (पणजी)

नायकर, श्री डी० के० (धारवाड़ उत्तर)

नारायणन, श्री के० आर० (ओट्टापलम)

नीखरा, श्री रामेश्वर (होशंगाबाद)

नेगी, श्री चन्द्र मोहन सिंह (गढ़वाल)

नेताम, श्री अरविन्द (कांकेर)

नेहरू, श्री अरुण कुमार (राय बरेली)

प

पंत, श्री कृष्ण चन्द्र (नई दिल्ली)

पंवार, श्री सत्यनारायण (उज्जैन)

पकीर मोहम्मद, श्री ई० एस० एम० (मयूरम)

पटनायक, श्री जगन्नाथ (कालाहांडी)

पटनायक, श्रीमती जयन्ती (कटक)

पटेल, श्री अहमद एम० (भड़ौच)

पटेल, श्री उत्तमभाई ह० (बलसार)

पटेल, डा० ए० के० (मेहसाना)

पटेल, श्री एच० एम० (साबरकंठा)

पटेल, श्री जी० आई० (गांधीनगर)

पटेल, श्री मोहनभाई (जूनागढ़)

पटेल, श्री राम पूजन (फूलपुर)

पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमभाई (गोधरा)

पटेल, श्री सी० डी० (सूरत)

पदायाची, श्री एस० एस० रामास्वामी (तिंडीवनम)

पनिका, श्री राम प्यारे (राबर्ट्सगंज)

पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)

पलाकोंड्रायुडू, श्री एस० (राजमपेट)

पवार, श्री बालासाहिब (जालना)

पांजा, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर-पूर्व)

पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)

पांडे, श्री मदन (गोरखपुर)

पांडे, श्री मनोज (बेतिया)

पांडेय, श्री काली प्रसाद (गोपालगंज)

पाटिल, श्री उत्तमराव (यवतमाल)

पाटिल, श्री एच० बी० (बागलकोट)

पाटिल, श्री डी० बी० (कोलाबा)

पाटिल, श्री प्रकाश वी० (सांगली)

पाटिल, श्री बालासाहिब विखे (कोपरगांव)

पाटिल, श्री यशवंतराव गडाख (अहमदनगर)

पाटिल, श्री विजय एन० (इरन्दोल)

पाटिल, श्री वीरेन्द्र (गुलबर्गा)

पाटिल, श्री शिवराज वी० (लातूर)

पाठक, श्री आनन्द (दार्जिलिंग)

पाठक, श्री चन्द्र किशोर (सहरसा)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणी (भुवनेश्वर)

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ (देवगढ़)

पायलट, श्री राजेश (दौसा)

पारधी, श्री केशवराव (भण्डारा)

पासवान, श्री राम भगत (रोसड़ा)

पुजारी, श्री जनार्दन (मंगलौर)

पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम (अलप्पी)

पुरोहित, श्री बनवारी लाल (नागपुर)

पुष्पा देवी, कुमारी (रायगढ़)

पूरन चन्द्र, श्री (हाथरस)

पेंचालैया, श्री पी० (नेल्लोर)

पेरूमन, डा० पी० वल्लल (चिदम्बरम)

पोतदुखे, श्री शांताराम (चन्द्रपुर)

प्रकाश चन्द्र, श्री (बाढ़)

प्रधान, श्री के० एन० (भोपाल)

प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)

प्रभु, श्री आर० (नीलगिरि)

फ

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर (उदीपी)

फलीरो, श्री एडुआर्डो (मारमागाओ)

ब

बघेल, श्री प्रताप सिंह (धार)

बनर्जी, कुमारी ममता (जादवपुर)

बनातवाला, श्री जी० एम० (पोन्नानी)

बर्मन, श्री पलास (बलूरघाट)

बलरामन, श्री एल० (बन्डावासी)

बशीर, श्री टी० (चिरायिंकिल)

बसवराजेश्वरी, श्रीमती (बेल्लारी)

बसु, श्री अनिल (आरामबाग)

बागुन सुम्ब्रई, श्री (सिंहभूम)

बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी (सीतापुर)

बाल गौड, श्री टी० (निजामाबाद)
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला (मद्रास दक्षिण)
बासवराजु, श्री जी० एस० (टुमकुर)
बिश्वास, श्री अजय (त्रिपुरा पश्चिम)
बीरबल, श्री (गंगानगर)
बीरेन्द्र सिंह, राव (महेन्द्रगढ़)
बीरेन्द्र सिंह, श्री (हिसार)
बुदानिया, श्री नरेन्द्र (चुरु)
बुन्देला, श्री सुजान सिंह (झांसी)
बूटा सिंह, सरदार (जालौर)
बेरवा, श्री बनवारी लाल (टोंक)
बैठा, श्री डूमर लाल (अररिया)
बैरागी, श्री बालकवि (मन्दसौर)
बैरो, श्री ए० ई० टी० (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय)
ब्रह्मदत्त, श्री (टिहरी गढ़वाल)

भ

भण्डारी, श्रीमती डी० के० (सिक्किम)
भक्त, श्री मनोरंजन (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह)
भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्वी दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (आरा)
भट्टाचार्य, श्रीमती इन्दुमती (हुगली)
भरत सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भारद्वाज, श्री परसराम (सारंगढ़)
भूपति, श्री जी० (पेद्दापल्ली)
भूमिज, श्री हरेन (डिब्रूगढ़)
भूरिया, श्री दिलीपसिंह (झाबुआ)
भोई, डा० कृपा सिंधु (सम्बलपुर)
भोये, श्री आर० एम० (धुले)
भोये, श्री एस० एस० (मालेगांव)
भोसले, श्री प्रतापराव बी० (सतारा)

म

मंडल, श्री सनत कुमार (जयनगर)
मकवाना, श्री नरसिंह (ढंढुका)
मनोरमा सिंह, श्रीमती (बांका)
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह (सोनीपत)
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र (दुर्गापुर)
मलिक, श्री लक्ष्मण (जगतसिंहपुर)
मसूदल हुसैन, श्री सैयद (मुर्शिदाबाद)
महन्ती, श्री बृजमोहन (पुरी)
महाजन, श्री वाई० एस० (जलगांव)
महाबीर प्रसाद, श्री (बांसगांव)
महाता, श्री चित्त (पुरुलिया)
महालिंगम, श्री एम० (नागापट्टिनम)
महेन्द्र सिंह, श्री (गुना)
माधुरी सिंह, श्रीमती (पूर्णिया)
मानवेन्द्र सिंह, श्री (मथुरा)
माने, श्री आर० एस० (इचलकरांजी)
माने, श्री मुरलीधर (नासिक)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालवीय, श्री बापूलाल (शाजापुर)
मावणि, श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई (राजकोट)
मिर्धा, श्री राम निवास (नागौर)
मिश्र, श्री उमाकान्त (भिर्जापुर)
मिश्र, श्री गार्गी शंकर (सिवनी)
मिश्र, श्री नित्यानन्द (बोलनगीर)
मिश्र, डा० प्रभात कुमार (जंजगीर)
मिश्र, श्री राम नगीना (सलेमपुर)
मिश्र, श्री विजय कुमार (दरभंगा)

मिश्र, श्री श्रीपति (मछलीशहर)

मिश्र, श्री सत्यगोपाल (तामलुक)

मीना, श्री राम कुमार (सवाई माधोपुर)

मीरा कुमार, श्रीमती (बिजनौर)

मुंडाकल, श्री जार्ज जोसफ (मुवत्तुपुजा)

मुखर्जी, श्रीमती गीता (पंसकुरा)

मुखोपाध्याय, श्री आनन्द गोपाल (आसनसोल)

मुत्तेमवार, श्री विलास (चिमूर)

मुरमू, श्री सिद्ध लाल (मयूरभंज)

मुशरान, श्री अजय (जबलपुर)

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर (कनकपुरा)

मूर्ति, श्री भट्टम श्रीराम (विशाखापत्तनम)

मेहता, श्री हरुभाई (अहमदाबाद)

मोतीलाल सिंह, श्री (सीधी)

मोदी, श्री विष्णु (अजमेर)

मोरे, प्रो० रामकृष्ण (खेड)

मोहनदास, श्री के० (मुकुन्दपुरम)

य

यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)

याजदानी, डा० गुलाम (रायगंज)

यादव, श्री आर० एन० (परभणी)

यादव, श्री कैलाश (जलेसर)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)

यादव, श्री बल राम सिंह (मैनपुरी)

यादव, श्री महावीर प्रसाद (माधीपुरा)

यादव, श्री राम सिंह (अलवर)

यादव, श्री विजय कुमार (नालन्दा)

यादव, श्री श्याम लाल (वाराणसी)

यादव, श्री सुभाष (खारगोन)

योगेश, श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा)

र

रंगनाथ, श्री के० एच० (चित्रदुर्ग)

रंगा, प्रो० एन० जी० (गुंटूर)

रघुराज सिंह, चौधरी (इटावा)

रण वीर सिंह, श्री (केसरगंज)

रत्तनम, श्री एन० वेंकट (तेनाली)

रथ, श्री सोमनाथ (आस्का)

रमैया, श्री बी० बी० (ऐलूरू)

रमैया, श्री सोडे (भद्राचलम)

राउत, श्री भोला (बगहा)

राज करन सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

राजहंस, डा० गौरी शंकर (झंझारपुर)

राजू, श्री आनन्द गजपति (बोबिली)

राजू, श्री विजय कुमार (नरसापुर)

राजेश्वरन, डा० वी० (रामनाथपुरम)

राठवा, श्री अमर सिंह (छोटा उदयपुर)

राठौड़, श्री उत्तम (हिंगोली)

राम, श्री राम रतन (हाजीपुर)

राम, श्री रामस्वरूप (गया)

राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)

राम धन, श्री (लाल गंज)

राम प्रकाश, चौधरी (अम्बाला)

राम बहादुर सिंह, श्री (छपरा)

राम समुझावन, श्री (सैदपुर)

राम सिंह, श्री (हरिद्वार)

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली (कन्नानौर)

रामपाल सिंह, श्री (अमरोहा)

राममूर्ति, श्री के० (कृष्णागिरि)

रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री (जहानाबाद)

रामुलु, श्री एच० जी० (कोप्पल)

रामूवालिया, श्री बलवन्त सिंह (संगरूर)

राय, श्री आई० रामा (कासरगौड़)

राय, श्री राज कुमार (घोसी)

राय, श्री रामदेव (समस्तीपुर)

राय, डा० सुधीर (बर्दवान)

रायप्रधान, श्री अमर (कूच बिहार)

राव, श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर (अमलापुरम)

राव, श्री के० एस० (मछलीपटनम)

राव, श्री जगन्नाथ (बहरामपुर)

राव, डा० जी० विजय रामा (सिद्दिपेट)

राव, श्री जे० चोक्का (करीमनगर)

राव, श्री जे० वेंगल (खम्मम)

राव, श्री पी० वी० नरसिंह (रामटेक)

राव, श्री वी० कृष्ण (चिकबल्लापुर)

राव, श्री वी० शोभनाद्रीश्वर (विजयवाड़ा)

राव, श्री श्रीहरि (राजामुन्द्री)

रावणी, श्री नवीन (अमरेली)

रावत, श्री कमला प्रसाद (बाराबंकी)

रावत, श्री प्रभु लाल (बांसवाड़ा)

रावत, श्री हरीश (अल्मोड़ा)

रियान, श्री बाजूबन (त्रिपुरा पूर्व)

रेड्डी, श्री ई० अय्यपू (कुरनूल)

रेड्डी, श्री एम० रघुमा (नलगोंडा)

रेड्डी, श्री एम० सुब्बा (नन्दयाल)

रेड्डी, श्री एस० जयपाल (महबूबनगर)

रेड्डी, श्री के० रामचन्द्र (हिंदुपुर)

रेड्डी, श्री डी० एन० (कडप्पा)

रेड्डी, श्री बी० एन० (मिरयालगुडा)

रेड्डी, श्री बेजावाड़ा पपी (अंगोल)

रेड्डी, श्री मानिक (मेडक)

रेड्डी, श्री सी० जंगा (हनमकोंडा)

रेड्डी, श्री सी० माधव (आदिलाबाद)

ल

लच्छी राम, चौधरी (जालौन)

लाहा, श्री आशुतोष (दमदम)

लोवांग, श्री वांगफा (अरुणाचल पूर्व)

व

वन, श्री दीप नारायण (बलरामपुर)

वनकर, श्री पूनम चन्द मीठाभाई (पाटन)

वर्मा, श्रीमती ऊषा (खेरी)

वर्मा, डा० सी० एस० (खगरिया)

वाडियर, श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज (मैसूर)

वालिया, श्री चरनजीत सिंह (पटियाला)

वासनिक, श्री मुकुल (बुलढाना)

विजयराघवन, श्री वी० एस० (पालघाट)

वीर सेन, श्री (खुर्जा)

वेंकटेश, डा० वी० (कोलार)

वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस० (कुड्डालोर)

व्यास, श्री गिरधारी लाल (भीलवाड़ा)

श

शंकर लाल, श्री (पाली)

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)

शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)

शमिन्दर सिंह, श्री (फरीदकोट)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल (करनाल)

शर्मा, श्री नन्द किशोर (बालाघाट)

शर्मा, श्री नवल किशोर (जयपुर)

शर्मा, श्री प्रताप भानु (विदिशा)

शांती देवी, श्रीमती (सम्भल)

शास्त्री, श्री हरिकृष्ण (फतेहपुर)

शाह, श्री अनूपचन्द (बम्बई उत्तर)

शाहबुद्दीन, श्री सैयद (किशनगंज)

शाही, श्री ललितेश्वर (मुजफ्फरपुर)

शिंगड़ा, श्री डी० बी० (दहानू)

शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (राजनन्दगांव)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमुन्द)

शेरवानी, श्री सलीम आई० (बदायूं)

शैलेश, डा० बी० एल० (चैल)

श्रीनिवास प्रसाद, श्री वी० (चामराजनगर)

ष

षण्मुख, श्री ए० सी० (वेल्लोर)

षण्मुख, श्री पी० (पांडिचेरी)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)

संखवार, श्री आशकरण (घाटमपुर)

संगमा, श्री विलियमसन (तुरा)

सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप)

सकरगायेन, श्री कालीचरण (खंडवा)

सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)

सम्बु, श्री सी० (बापतला)

सलाउद्दीन, श्री (गोड्डा)

साठे, श्री वसंत (वर्धा)

सान्याल, श्री मानिक (जलपाईगुड़ी)

सामंत, डा० दत्ता (बम्बई दक्षिण मध्य)

साहा, श्री अजित कुमार (विष्णुपुर)

साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)

साही, श्रीमती कृष्णा (बेगूसराय)

साहू, श्री शिव प्रसाद (रांची)

सिंगरावडीवेल, श्री एस० (तंजावूर)

सिंह, श्री एन० टोम्बी (आंतरिक मणिपुर)

सिंह, श्री एस० डी० (धनबाद)

सिंह, श्री कमला प्रसाद (जौनपुर)

सिंह, श्रीमती किशोरी (वैशाली)

सिंह, श्री कृष्ण प्रताप (महाराजगंज)

सिंह, श्री के० एन० (हापुड़)

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप नारायण (पदरौना)

सिंह, श्री डी० जी० (शाहाबाद)

सिंह, श्री भानु प्रताप (पीलीभीत)

सिंह, श्री राम नारायण (भिवानी)

सिंह, श्री लाल विजय प्रताप (सरगुजा)

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (इलाहाबाद)

सिंह, श्री संतोष कुमार (आजमगढ़)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)

सिंह देव, श्री के० पी० (ढेंकानाल)

सिदनाल, श्री एस० बी० (बेलगाम)

सिद्दीक, श्री हाफिज मोहम्मद (मुरादाबाद)

सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के० तारादेवी (चिकमगलूर)

सिन्धिया, श्री माधवराव (ग्वालियर)

सिन्हा, श्री अतीश चन्द्र (बरहामपुर)

सुख राम, श्री (मण्डी)

सुखबंस कौर, श्रीमती (गुरदासपुर)

सुखाड़िया, श्रीमती इन्दुबाला (उदयपुर)

सुनील दत्त, श्री (बम्बई उत्तर पश्चिम)

सुन्दर सिंह, श्री चौधरी (फिल्लौर)

सुन्दरराज, श्री एन० (पुदुकोट्टई)

सुन्दरराजन, श्री एन० (शिवकाशी)

सुमन, श्री राम प्यारे (अकबरपुर)

सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

सुल्तानपुरी, श्री के० डी० (शिमला)

सूर्यवंशी, श्री नरसिंह (बीदर)

सेट, श्री अजीज (धारवाड़ दक्षिण)

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (मंजेरी)

सेठी, श्री अनन्त प्रसाद (भद्रक)

सेठी, श्री प्रकाश चन्द्र (इन्दौर)

सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)

सेन, श्री भोलानाथ (कलकत्ता दक्षिण)

सेलवेन्द्रन, श्री पी० (परियाकुलम)

सैकिया, श्री एम० आर० (नवगांव)

सैकिया, श्री गोकुल (लखीमपुर)

सोज, प्रो० सैफुद्दीन (बारामूला)

सोढी, श्री मानकूराम (बस्तर)

सोमू, श्री एन० वी० एन० (मद्रास उत्तर)

सोरन, श्री हरिहर (क्योंझर)

सोलंकी, श्री कल्याण सिंह (आंवला)

सोलंकी, श्री नटवर सिंह (कापड़वंज)

स्पैरो, श्री आर० एस० (जालंधर)

स्वामी, श्री कटूरी नारायण (नरसारावपेट)

स्वामी, श्री डी० नारायण (अनन्तपुर)

स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)

स्वैल, श्री जी० जी० (शिलांग)

ह

हंसदा, श्री मतिलाल (झाड़ग्राम)

हन्नान मोल्लाह, श्री (उलूबेरिया)

हरद्वारी लाल, श्री (रोहतक)

हरपाल सिंह, श्री (कुरुक्षेत्र)

हाल्दर, प्रो० एम० आर० (मथुरापुर)

हेत राम, श्री (सिरसा)

हेमब्रम, श्री सेत (राजमहल)

लोक सभा

अध्यक्ष
डा० बल राम जाखड़

उपाध्यक्ष
श्री एम० तम्बि दुराई

सभापति तालिका
श्रीमती बसवराजेश्वरी
श्री जैनुल बशर
श्री शरद दिघे
श्री वक्कम पुरुषोत्तमन
श्री सोमनाथ रथ
श्री एन० वेंकट रत्नम

महासचिव
डा० सुभाष काश्यप

भारत सरकार

मंत्री परिषद के सदस्यों की सूची

मंत्रीमंडल के सदस्य

1. प्रधान मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन; विज्ञान और प्रौद्योगिकी; परमाणु ऊर्जा; इलेक्ट्रानिकी; महासागर विकास; अन्तरिक्ष मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी तथा अन्य उन विषयों के प्रभारी, जो मंत्रीमंडल स्तर के किसी अन्य मंत्री अथवा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) को नहीं दिए गए हैं	श्री राजीव गांधी
2. विदेश मंत्री	श्री पी० वी० नरसिंह राव
3. वित्त मंत्री	श्री एस० बी० चव्हाण
4. गृह मंत्री	सरदार बूटा सिंह
5. मानव संसाधन विकास मंत्री	श्री पी० शिव शंकर
6. रक्षा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
7. ऊर्जा मंत्री	श्री वसन्त साठे
8. कृषि मंत्री	श्री भजन लाल
9. उद्योग मंत्री	श्री जे० वेंगल राव
10. वाणिज्य मंत्री	श्री दिनेश सिंह
11. योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री	श्री माधव सिंह सोलंकी
12. संचार मंत्री	श्री बीर बहादुर सिंह
13. श्रम मंत्री	श्री बिन्देश्वरी दुबे
14. विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
15. संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
16. इस्पात और खान मंत्री	श्री एम० एल० फोतेदार
17. शहरी विकास मंत्री	श्रीमती मोहसिना किदवई
18. वस्त्र मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
19. पर्यावरण और वन मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी

राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री ब्रह्म दत्त
2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री जगदीश टाईटलर
3. रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री माधव राव सिन्धिया
4. कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी
5. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री राजेश पायलट
6. नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री शिवराज वी० पाटिल
7. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री	श्री सुख राम

राज्य मंत्री

1. वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री	श्री ए० के० पांजा
2. योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बीरेन सिंह ऐंगती
3. वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री	श्री बी० के० गढ़वी
4. रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही
5. ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री	श्री सी० के० जाफर शरीफ
6. शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री दलबीर सिंह
7. वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री एडुआर्डो फैलीरो
8. संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री गिरिधर गोमांगो
9. विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० आर० भारद्वाज
10. कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री	श्री हरि कृष्ण शास्त्री
11. कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री जनार्दन पुजारी
12. ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री	श्री कल्पनाथ राय
13. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० के० के० तिवारी
14. विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० नटवर सिंह
15. जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्रीमती कृष्णा साही
16. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री	श्री के० आर० नारायणन
17. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री	श्री एल० पी० शाही
18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य, खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री	श्रीमती मारग्रेट अल्वा

19. उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री	श्री एम० अरुणाचलम
20. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० एम० जैकब
21. कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री पी० चिदम्बरम
22. वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री प्रिय रंजन दास मुंशी
23. वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री रफीक आलम
24. कृषि मंत्रालय में उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री	श्री आर० प्रभु
25. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एस० कृष्ण कुमार
26. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सन्तोष मोहन देव
27. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री	कुमारी सरोज खापर्डे
28. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री	श्रीमती शीला दीक्षित
29. कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री	श्री श्याम लाल यादव

उप मंत्री

1. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री	श्री डी० एल० बैठा
2. रेल मंत्रालय में उप मंत्री	श्री महाबीर प्रसाद
3. जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री	श्री पी० नामग्याल
4. श्रम मंत्रालय में उप मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री	श्री राधा किशन मालवीय
5. कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री	श्रीमती सुमति उरांव

खण्ड 46, आठवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र का प्रथम दिन अंक 1

लोक सभा

मंगलवार, 21 फरवरी, 1989/2 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 1 बजे म० प० पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति का अभिभाषण

[अनुवाद]

महासचिव : मैं 21 फरवरी, 1989 को संसद के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

राष्ट्रपति का अभिभाषण

माननीय सदस्यगण,

मैं संसद के इस सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं । साथ ही इस सत्र में आपके समक्ष जो बजट और विधायी कार्य हैं उनके सफलतापूर्वक सम्पन्न होने की कामना करता हूं ।

2. हम इस वर्ष को जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं । भारत के इस महान सपूत की हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में और स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में भारत के निर्माण के प्रारम्भिक वर्षों में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है । उन्होंने हमारे आधुनिक राष्ट्रीयता, लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता, समाजवाद और गुट-निरपेक्षता के आधारस्तम्भों का निर्माण किया । उनके आदर्शों का स्थायी महत्व है । उनके शताब्दी वर्ष के अवसर पर हम स्वयं को उनके आदर्शों के प्रति और मानव सभ्यता की अग्र पंक्ति में भारत को उसका उचित स्थान पुनः दिलाने के उनके महान स्वप्न के प्रति पुनः समर्पित करते हैं ।

3. जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आधारभूत नीति के ढांचे को आकार दिया । पण्डित नेहरू का लोकतान्त्रिक, धर्म-निरपेक्ष और समाजवाद पर आधारित समाज का स्वप्न हमारी सामाजिक और आर्थिक कार्य-नीति को दिशा प्रदान करता रहा है । हम इन्दिरा गांधी के ऋणी हैं जिन्होंने निहित स्वार्थों के विरुद्ध तीव्र संघर्ष कर इसका रचनात्मक विकास किया । योजना-प्रक्रिया को, जो इस कार्य नीति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इन्दिरा जी ने एक नयी जीवनशक्ति प्रदान की जिन्होंने सामाजिक न्याय पर, जो हमारी विकास शैली का अभिन्न अंग है, पुनः जोर दिया । पण्डित नेहरू और इन्दिरा जी,

दोनों यह मानते थे कि भारत की प्रभुसत्ता, राष्ट्रीय अखण्डता और आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत का विकास—शांति, निरस्त्रीकरण और न्याय संगत विश्व-व्यवस्था के प्रति समर्पित विदेश नीति के साथ गहरे रूप से जुड़े हैं।

4. इस संसद के अन्तिम वर्ष में प्रवेश करते हुए हम पिछले चार वर्षों के रचनात्मक प्रयासों पर सन्तोष व्यक्त कर सकते हैं। तब हम इन्दिरा जी की हत्या के भयानक सदमे से उबर ही रहे थे। एक ओर आतंकवादी, विद्रोही और अलगाववादी तथा दूसरी ओर अनेक असन्तुष्ट तत्व देश की एकता पर प्रश्न-चिह्न लगाने, देश की अखण्डता को चुनौती देने और स्थिरता को कमज़ोर करने की कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन लोकतन्त्र कायम रहा और भारी जनादेश से सरकार बनी। चार वर्षों के बाद आज राष्ट्र में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सामंजस्य है। विचार-विमर्श और बातचीत से समझौतों और करारों के मार्ग प्रशस्त हुए हैं। पूरा उत्तर-पूर्व अब पूरी तरह से राष्ट्र की लोकतान्त्रिक मुख्यधारा में शामिल है। सारा देश यह जान गया है कि हिंसा का मुकाबला सख्ती से किया जाएगा किन्तु शिकायतों के साथ न्याय किया जाएगा शर्त सिर्फ यह है कि हथियारों को पहले त्याग दिया जाए और संविधान का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

5. इन चार वर्षों में आर्थिक वृद्धि के क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं और ऐसा भयंकर सूखे के बावजूद हुआ है सरकार और जनता ने मिलकर इस संकट का धीरज और दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया है। जहां इस तरह के सूखों से पहले अर्थव्यवस्था को हमेशा भारी नुकसान पहुंचता रहा है वहां देश के आर्थिक इतिहास में यह पहला अवसर है जब सूखे के कारण हुई क्षति के बावजूद अर्थव्यवस्था ने वस्तुतः 3.6 प्रतिशत की निश्चित वृद्धि प्राप्त की है जो कि अस्सी के दशक तक की औसत वृद्धि से भी अधिक है। सरकारी नीतियों ने अर्थव्यवस्था में जिस लचीलेपन और आत्मविश्वास का समावेश किया है उसी के अनुरूप अब हम दीर्घकालीन वृद्धि के पथ पर अग्रसर हैं जो 5 प्रतिशत से भी अधिक है और अगली योजना में जिसका लक्ष्य 6 प्रतिशत या उससे भी अधिक रखा गया है। हमारा सीधा प्रहार गरीबी पर है। हमने बेरोजगारी को घटाने के लिए भरसक प्रयास किया है। हमारा मार्गदर्शी सिद्धांत रहा है कि कमजोर, अभावग्रस्त और दलित वर्ग के लिए न्याय और उन्नति के सुअवसर प्रदान किए जाएं।

6. विदेशों में भारत की नीतियों को अधिक समझा जा रहा है। अधिक संख्या में देश यह स्वीकार करते जा रहे हैं कि सतत शांति का वही रास्ता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया है और जिसे बढ़ते हुए परमाणु संघर्ष और महाशक्तियों की कभी खत्म न होने वाली प्रतिद्वन्द्विता के चार दशकों में इन्दिरा गांधी ने आलोकित किया है। हमें एक नये युग के अभ्युदय का प्रथम संकेत सोवियत संघ द्वारा दिल्ली घोषणा के माध्यम से अपनाए गए अहिंसा के सिद्धांतों से मिलता है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के बीच हुई बातचीत का परिणाम यह रहा कि परमाणुअस्त्रों की एक पूरी श्रेणी नष्ट कर दी गई है और इस प्रकार इन खतरनाक अस्त्रों के आविष्कार के बाद पहली बार परमाणु-निरस्त्रीकरण की घोषणा की गई। विश्व के अनेक क्षेत्रों में टकराव में पर्याप्त कमी आई है जिससे यह परिलक्षित होता है कि तनाव कम हुआ है। ये घटनाएं उन सिद्धांतों का भी निरूपण करती हैं, जिनका नेहरू ने समर्थन किया था और जो गुट-निरपेक्षता के सिद्धांत थे। इस महान दर्शन के उत्तराधिकारियों के रूप में ये घटनाएं हमारे लिए एक ऐसी चुनौती भी हैं, जिसके अन्तर्गत हमें तब तक प्रयासरत रहना है, जब तक अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणु अस्त्रों से मुक्त कराने के लिए तैयार नहीं कर लिया जाता और जब तक समुचे विश्व को अहिंसा के दौर में नहीं ले जाया जाता। हमारा

कार्य अपने क्षेत्र से ही शुरू हो जाता है। हमने अपनी सीमाओं पर शांति बनाए रखी है, अपने क्षेत्र में शांति को बढ़ावा दिया है और चीन के साथ सौहार्द और सहयोग का वातावरण बनाया है जो बहुत समय से नहीं था।

7. यह सब केवल इसलिए सम्भव हुआ क्योंकि हम उन महान सिद्धांतों पर अडिग रहे जिन पर देश की इमारत बनी है; जनतन्त्र, जो गांव-गांव तक पहुंचता है, धर्मनिरपेक्षता, जिसमें सभी धर्मों का आदर किया जाता है और सभी अल्प संख्यकों की रक्षा होती है, समाजवाद, जिसका उद्देश्य गरीबी और बेरोजगारी दूर करना है और गुट-निरपेक्षता, जो हमें स्वाधीनता और आत्मनिर्भरता का आश्वासन देती है और इसी से विश्व में हमारी बात को महत्व दिया जाता है, और जिसका प्रभाव हितकारी भी है और निर्णायक भी।

8. सरकार की यह नीति रही है कि सभी विवादों और मतभेदों को शान्तिपूर्वक निपटाया जाए। लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं का सम्मान अवश्य किया जाएगा लेकिन राष्ट्र की एकता और अखण्डता बनाए रखने के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बातचीत और विचार-विमर्श, समझौते और सहमति का लोकतांत्रिक रास्ता उन सब व्यक्तियों के लिए खुला है जो हिंसा का रास्ता छोड़कर संविधान के ढांचे के अन्दर काम करने के लिए तैयार हों। यही दृष्टिकोण 1985 में असम में, 1986 में मिजोरम में और पिछले ही वर्ष त्रिपुरा और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अपनाया गया।

9. हम आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कृत-संकल्प हैं। हम तब तक डटे रहेंगे और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि पंजाब में आतंकवाद का समूल नाश नहीं हो जाता। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में सबसे शक्तिशाली हथियार स्वयं जनता है। धमकियों और उत्तेजक गतिविधियों के बावजूद पंजाब के लोगों ने आतंकवादियों की हिंसा का डटकर मुकाबला किया है और आपस में सामुदायिक सामंजस्य और सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध बनाए रखे हैं। वे हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। उन्हीं के बल पर सरकार को यह विश्वास है कि वह अपने प्रयत्नों से पंजाब समस्या का कोई राजनीतिक हल ढूंढ लेगी। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच आतंकवादियों को विदेश से मिलने वाली सहायता और समर्थन को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं।

10. आंध्र प्रदेश और बिहार में उग्रवादी गतिविधियां पुनः सक्रिय हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में उग्रवादी हिंसा की घटनाएं अपेक्षाकृत अधिक हुई हैं। भारत सरकार इस स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है।

11. हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता का अस्तित्व हर प्रकार के उतार-चढ़ावों के बावजूद बना रहा है, क्योंकि इसकी जड़ें धार्मिक सहिष्णुता तथा विविधता में गहरी रही हैं। आज भारत को खतरा संकीर्ण मानसिकता की शक्तियों से है। संकीर्ण मानसिकता के अनेक रूप हैं : जैसे धार्मिक रूढ़िवादी, सम्प्रदायवादी तथा जातिवादी, क्षेत्रीय और भाषाई। जब ये शक्तियां आपस में मिल जाती हैं तो एक अत्यन्त खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह सौभाग्य की बात है कि भारत के लोगों के विचार कभी संकीर्ण नहीं रहे हैं। सरकार लोगों के सहयोग से इन शक्तियों से लड़ने के लिए कटिबद्ध है।

12. हमारे देश का भविष्य युवाओं का है। हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग युवा हैं। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ हमारी जनसंख्या में युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। देश को युवाओं की आकांक्षाएं अवश्य पूरी करनी होंगी और उनकी सहभागिता प्राप्त करनी होगी। मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। हम युवाओं का आह्वान करते हैं कि वे राष्ट्र-निर्माण में पूरी तरह हिस्सा लें।

13. अन्य क्षेत्रों में चुनाव सुधार किए गए हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए संविधान के प्रति वचनबद्धता अनिवार्य शर्त बना दी गई है। बूथ पर कब्जा करने को संज्ञेय अपराध बना कर कमजोर वर्गों के नागरिक अधिकारों को अधिक सुनिश्चित किया गया है। महिलाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराध करने के दोषी लोग चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए हैं।

14. सरकार धर्म का राजनीति से पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए गत वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया। आगे अन्य उपाय भी किए जाएंगे।

15. मैंने जब आपको गत वर्ष सम्बोधित किया था, उस समय हमारी जनता असाधारण रूप से भयंकर सूखे का सामना कर रही थी। प्रधानमन्त्री ने स्वयं देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का व्यापक रूप से दौरा किया। उन्होंने सूखे के प्रभाव का गहन अध्ययन करने के लिए और इस चुनौती से जूझने के हमारे प्रयासों पर नजर रखने के लिए एक मंत्रिमण्डलीय सूखा राहत समिति गठित की। केन्द्र सरकार की पहल पर तथा इसकी भारी आर्थिक सहायता और परामर्श के बल पर इन वर्षों के दौरान विकास के लिए स्थापित किए गए आधारभूत साधनों का सूखा-राहत, सूखे से स्थायी बचाव तथा सूखा-पीड़ित लोगों के लिए स्थायी परिसम्पत्तियां बनाने हेतु कारगर ढंग से उपयोग किया गया। लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत और सक्रिय बनाया गया। आमतौर से जनता ने और विशेष रूप से किसानों ने सरकार के प्रयासों में सहयोग दिया। इस परीक्षा से उबर कर हम दृढ़ संकल्प होकर नई स्फूर्ति के साथ, सशक्त और स्वावलम्बी होकर सामने आए। यह एक बड़ी प्राकृतिक विपदा का प्रभावशाली ढंग से सामना करने का एक शानदार उदाहरण है।

16. सूखे का सामूहिक रूप से सामना करने के अनुभव का उपयोग गत वर्ष के अच्छे मानसून का पूरा लाभ उठाने के लिए किए जाने वाले सम्मिलित प्रयासों में किया गया। एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। परिणामस्वरूप खरीफ की फसल का रिकार्ड उत्पादन हुआ और रबी की फसल अच्छी होने की भी काफी अधिक संभावनाएं हैं। खाद्यान्न का उत्पादन शानदार रहा है। कपास और गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। तिलहन के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है, जिससे तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन की उपलब्धियां परिलक्षित होती हैं।

17. समीक्षाधीन वर्ष असाधारण आर्थिक-निष्पादन का वर्ष रहा है। सूखे का पूरी दृढ़ता से सामना करने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था एक नयी शक्ति से पुनः अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। सकल देशी उत्पादों की विकास दर 9 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। योजना के प्रथम चार वर्षों में विकास दर 5 प्रतिशत के लक्ष्य से भी अधिक होगी। आठवीं योजना की विकास दरों में एक निश्चयात्मक वृद्धि के लिए यह एक शुभ लक्षण है। राष्ट्र इस बात से आश्वस्त हो सकता है कि हम गरीबी मिटायेंगे और बेरोजगारी दूर करेंगे।

18. सरकार का ध्यान मुख्य रूप से किसानों पर केन्द्रित है। किसान के लिए वित्त उपलब्ध कराना एक मुख्य प्राथमिकता रही है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने का लक्ष्य बढ़ाकर पूरे बैंक ऋण का 17 प्रतिशत तक कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा दिए जाने वाले ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि करके उसे 1800 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2550 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्ध-शहरी शाखाओं को उनके सेवा क्षेत्र में ग्रामों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य सौंपा गया है और

इसके लिए उनको अधिकार दिया गया है। 5 लाख ग्रामों के लिए ग्रामों की रूप रेखाएं और ऋण सम्बन्धी योजनायें बनाई गई हैं। कृषि-उपज के विपणन के लिए एक नई ऋण योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत किसान अपनी फसल स्थानीय सहकारी समिति के पास बन्धक रखकर 10,000 रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

19. एक नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालय की स्थापना की गई। इस तरह खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण में आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा किसानों के उत्पादों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा जिससे किसानों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की आय और रोजगार में वृद्धि हो। एक नई बीज नीति अपनाई गई है, जिससे कि संगरोध की शर्तों में ढील दिए बगैर सब्जियों, फलों, फूलों, तिलहनों और दलहनों के लिए उन्नत श्रेणी के बीज और पौध प्राप्त करने का अवसर मिल सके। अन्तःस्थलीय और समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के उद्योग के समन्वित विकास के लिए राष्ट्रीय मछली उद्योग सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है।

20. 1985 से उद्योग में उत्पादन और निवेश को प्रोत्साहित करने, कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करने, अधिक प्रतिस्पर्धा और प्रौद्योगिक उन्नति के लिए सरकार ने नीति विषयक कई पहल की हैं। इसी के परिणामस्वरूप, पिछले चार वर्षों में औद्योगिक वृद्धि 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक हुई है। चालू वर्ष के पहले छह महीनों में समग्र औद्योगिक वृद्धि 9.5 प्रतिशत थी। विनिर्माण क्षेत्र में यह वृद्धि 10.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लघु क्षेत्र में उत्पादन में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई। क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण पर भारी बल दिया गया है। औद्योगिक सम्बन्ध स्थिर रहे हैं और सरकार ने विभिन्न उद्योगों के हालात सुधारने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

21. इसी प्रकार आधारभूत उद्योग के क्षेत्र में सरकार की नीतियों के प्रभावशाली परिणाम निकले हैं। 1987-88 में समाप्त होने वाले 3 वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि की दर कोयले में 7.3 प्रतिशत, रेलों द्वारा माल की ढुलाई में 7.6 प्रतिशत, विक्रेय इस्पात में 7.6 प्रतिशत, पत्तनों पर माल की चढ़ाई-उतराई में 7.9 प्रतिशत, बिजली में 9.6 प्रतिशत, सीमेंट में 10.3 प्रतिशत और उर्वरकों में 12.5 प्रतिशत रही है। उत्साहवर्धक बात यह है कि हर वर्ष कार्य-निष्पादन में लगातार बढ़ोतरी होती रही है। 1987-88 के पहले आठ महीनों के मुकाबले इस वर्ष तुल्य अवधि में कोयले 7.1 प्रतिशत तक, बिजली में 7.6 प्रतिशत तक, पत्तनों पर माल की चढ़ाई-उतराई में 10.2 प्रतिशत तक, विक्रेय इस्पात में 11.5 प्रतिशत तक, सीमेंट में 12.2 प्रतिशत तक और उर्वरकों में 34.5 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों और अन्य दूरसंचार उपस्करों के देशीय विकास और निर्माण से दूरसंचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। देश में दूरसंचार सेवाओं का विकास तेज करने के लिए एक दूरसंचार आयोग स्थापित किया गया है।

22. सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य-निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। पिछले चार वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय पूंजी निवेश किया गया है। उत्पादन और लाभकारिता में वृद्धि हुई है। जवाहरलाल नेहरू की परिकल्पना के अनुसार हमारे सार्वजनिक क्षेत्र ने न केवल अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को छुआ है, अपितु यह अधिक दक्ष व गतिशील भी होता जा रहा है। एक सशक्त और जीवंत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए प्रचालन में पूर्ण-स्वायत्तता आवश्यक है। इस वर्ष जो परिणाम प्राप्त हुए है, वे इस बात के द्योतक हैं कि सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्धक-वर्ग को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक प्राधिकार और स्वतन्त्रता देना चाहती है।

23. पिछले दो वर्षों में शुरू में धीमी गति के बाद निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। निर्यात में गत वर्ष 25% वृद्धि और चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में 25% की वृद्धि और हुई जिससे दो वर्ष की अवधि में 50% से भी अधिक वृद्धि परिलक्षित होती है।

24. अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में हमने महत्वपूर्ण विस्तार करने का काम आरम्भ किया है। देशी जानकारी पर आधारित दस नए परमाणु शक्तिचालित रिएक्टरों से देश की विद्युत उत्पादन क्षमता में लगभग 4000 मैगावाट की वृद्धि होगी जो सोवियत प्रौद्योगिकी के आधार पर स्थापित की जा रही 2000 मैगावाट परमाणु ऊर्जा के अतिरिक्त है। परमाणु केन्द्रों में आपातकालीन तैयारी और सुरक्षा प्रणालियों के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार किया गया है।

25. विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह का इस्तेमाल भूजल का पता लगाने और बाढ़ पर नजर रखने जैसी ग्रामीण विकास की समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है। स्वास्थ्य और कृषि में इस्तेमाल के लिए अनेक बायो-टेक्नॉलोजी उत्पाद तैयार किए गए हैं। देश में ही विकसित गाय भ्रूण अन्तरण प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल देश के दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए किया जा रहा है। सरकार खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं को अधिक से अधिक शरीक करने की योजना बना रही है।

26. प्रौद्योगिकी मिशनों के लाभ मिलने आरम्भ हो गए हैं। एक लाख छः हजार समस्याग्रस्त गांवों को पेयजल साधन मुहैया किए जा चुके हैं। 500 से अधिक स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से अनेक राज्यों में प्रौढ़ साक्षरता के लिए एक व्यापक जन अभियान शुरू किया गया है। सरकार ने पशु उत्पादकता में सुधार और दूध के अधिक उत्पादन के जरिए ग्रामीण आय को बढ़ाने के लिए डेयरी विकास छठा प्रौद्योगिकी मिशन आरम्भ किया है।

27. मूल्य और भुगतान संतुलन हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले दो क्षेत्र हैं। मूल्य अवश्य बढ़े हैं, लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि जितना भयंकर सूखा पड़ा, उतने ही भयंकर पिछले सूखों की तुलना में मूल्य-वृद्धि काफी कम रही। मुद्रास्फीति की दर के कारगर नियंत्रण के लिए वित्तीय और आर्थिक नीति सम्बन्धी सभी उपाय किए जा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

28. भुगतान संतुलन के विषय में हमें बहुत सतर्क रहना है। निर्यात में वृद्धि की गति को बरकरार रखना होगा तथा अधिक निर्यात और विदेशी मुद्रा के अधिक अर्जन से इसे और सुदृढ़ करना होगा। यथासंभव कारगर आयात-प्रतिस्थापन पर विशेष बल देते हुए आयात पर सावधानीपूर्वक नजर रखनी होगी।

29. अधिक तीव्र विकास, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में अधिक तीव्र विकास, गरीबी समाप्त करने की आवश्यक पूर्वापेक्षा है। लेकिन यही काफी नहीं है। इसीलिए गरीबी पर सीधा प्रहार अभी जारी है। गरीबों के कल्याण के हित में सरकार परिसम्पत्ति-निर्माण और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों पर पहले की अपेक्षा अधिक खर्च कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, हमारे ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ 50 लाख लाभग्राहियों को सहायता प्राप्त हुई है। इनमें लगभग आधे लाभग्राही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को योजना के चौथे वर्ष में ही पूरा कर लिया गया।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत चार लाख से भी अधिक घरों का निर्माण किया गया। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के लाभार्थ दस लाख कुंआ योजना आरंभ की गई है। जनजातियों के लिए उनके उत्पादों के उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक मार्केटिंग संस्था "ट्राइफेड" आरम्भ की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है।

30. राष्ट्रीय आवास नीति संसद में पास की जा चुकी है। इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को आवास उपलब्ध कराने के कार्य को प्राथमिकता दी गई है। इनके साथ-साथ ग्रामीण भूमिहीन व्यक्तियों, कारीगरों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय समूहों के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार आवास दिलाने में सहायता की जाएगी। इसी प्रकार अकेली महिलाओं, विधवाओं तथा उन परिवारों की भी सहायता की जाएगी जिनकी प्रधान महिलाएं हैं। शहरी क्षेत्रों में सबसे खराब स्थिति पटरी पर रहने वालों की है। पटरी पर रहने वालों को घर प्रदान करने के लिए महानगरों में एक योजना शुरू की गई है। एक राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई है। गृह निर्माण कार्य में आने वाली रुकावटों, जैसे अपर्याप्त भूमि और पूंजी, को धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। शहरीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन है।

31. इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत पहले ही देश के लगभग 40 प्रतिशत ब्लॉक लाए जा चुके हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वत्र प्रसार को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की प्रभावी शुरुआत भी की गई है। अब तक 256 नवोदय विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले 40 प्रतिशत बच्चे ऐसे परिवारों से हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के हैं।

32. भारतीय समाज के समस्त पिछड़े वर्गों में महिलायें सबसे पीछे हैं। राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने और उन पर पड़े परिवार तथा समाज के भारी दायित्वों के निर्वाह में उनकी सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए एक दीर्घकालिक नीति की रूपरेखा तैयार करना है। इसका उद्देश्य उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता को सुदृढ़ करना और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना के तहत देश के विकास में पूरी भागीदार बनने में महिलाओं की सहायता करने का प्रयास किया गया है।

33. विकास प्रक्रिया में आर्थिक आयाम के अलावा और भी बहुत कुछ है। विकास की हमारी वर्तमान अवस्था में इस प्रक्रिया के सामने तीन प्रमुख चुनौतियां हैं—पर्यावरण की रक्षा, संस्कृति की रक्षा तथा हमारे लोगों की भागीदारी।

34. पर्यावरण का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित करने और पारिस्थितिकी-संतुलन को बेहतर ढंग से बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति में काफी परिवर्तन किया गया है। वन-संरक्षण अधिनियम को सुदृढ़ बनाया गया है तथा जल प्रदूषण सम्बन्धी कानून को अधिक कठोर बनाया गया है। गंगा कार्य योजना में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गंगा की सफाई के लिए 262 योजनाएं मंजूर की हैं, जिनपर 256 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन योजनाओं में से 45 योजनाएं पहले ही पूरी की जा चुकी हैं।

शेष योजनाएं तेजी से क्रियान्वित की जा रही हैं। खतरनाक रसायनों तथा उनके प्रतिष्ठापनों को विनियमित करने और रासायनिक दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक संस्थागत ढ़ांचा बनाया गया है।

35. तेजी से हो रहे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की इस अवधि में हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य दांव पर हैं। हमारी मूल्य प्रणाली का मूल आधार करुणा, सहिष्णुता और जन-कल्याण हैं। हमारे सामने यह घोर संकट है कि कहीं इन मूल्यों की उपेक्षा कर इनका स्थान बेलगाम भौतिक लालसाएं न ले लें। हमारे उत्कृष्ट मूल्यों की रक्षा तथा राष्ट्रीय अखण्डता को बरकरार रखने, हमारी विविधता को सहज रूप में स्वीकार करने, विविधता में एकता बनाए रखने, बाहर के अच्छे सांस्कृतिक प्रभावों को ग्रहण करने और समन्वय के माध्यम से विकास के लिए संस्कृति सर्वाधिक प्रभावी साधनों में से एक साधन है। यही वे गुण हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता को निरन्तर बनाए रखा है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने परम्परागत, लोकमूलक और आदिवासी तत्वों से निर्मित सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षित रखें और उनका विकास करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो शानदार विरासत प्राप्त हुई है उसकी जानकारी हम सर्वसाधारण को दें और उनमें उसके प्रति एक अहसास पैदा करें। यही वे उद्देश्य और प्राथमिकताएं हैं जिन पर सरकार की सांस्कृतिक नीति आधारित है।

36. योजना प्रक्रिया में जन सामान्य के स्तर पर वास्तविक सहभागिता की बहुत अधिक आवश्यकता है। यही एक तरीका है जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और स्थानीय प्राथमिकताओं पर अपेक्षित बल दिया जा सकेगा। हमें अपने लोकतन्त्र के तीसरे सोपान को मजबूत करना होगा ताकि गांव, तहसील और जिला स्तरों की प्रतिनिधि संस्थाएं विकास कार्यक्रमों की योजना बना सकें, उन्हें कार्यान्वित कर सकें और उनकी निगरानी कर सकें। इसलिए इस वर्ष सरकार के लिए मुख्य प्राथमिकता होगी पंचायती राज्य संस्थाओं को पुनर्गठित कर उनकी शक्तियों और कार्यों को नया रूप देना। सरकार जनता को शक्तियां सौंपने के लिए एक बड़ा विधायी कार्यक्रम प्रस्तुत करना चाहती है।

37. अब हम आठवीं योजना तैयार कर रहे हैं। सरकार का यह प्रयास होगा कि योजना को जिला स्तर से, बल्कि उससे भी नीचे से शुरू कर राज्य योजना आयोगों और योजना भवन तक लाया जाए। इस योजना में हमने 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर का लक्ष्य रखा है। रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के युवा वर्ग को उत्पादक काम और रोजगार मुहैया करने को हम सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। अतः इस प्रकार ही गरीबी और विकास की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। राष्ट्र-निर्माण के महान कार्य में युवाओं को शामिल करना ही इनका समाधान है।

38. जब हम आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर नजर डालते हैं तो स्थिति आशाजनक तो जरूर है परन्तु ऐसी नहीं कि हम संतुष्ट होकर बैठ जाएं। आई० एन० एफ० सन्धि के रूप में परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रमुख सैनिक शक्तियों के बीच बेहतर समझ इस बात से भी जाहिर होती है कि विश्व के अनेक भागों में तनाव कम हुआ है। यहां तक कि ऐसी समस्याएं हल हुई हैं जो असाध्य प्रतीत होती थीं। टकराव के स्थान पर बातचीत को लगातार अधिक महत्व दिया जा रहा है। यह संतोष की बात है कि इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के पीछे गुट-निरपेक्षता, पंचशील और 1986 की दिल्ली घोषणा के सिद्धांतों का दार्शनिक आधार मौजूद है। फिर भी, समाधान ढूंढने की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम पहले की अपेक्षा अधिक सुन्दर और अधिक

लोकतांत्रिक विश्व के निर्माण में अपना सहयोग दें और सम्बन्धित देशों के हितों को अनदेखा न किया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में इस ऐतिहासिक घड़ी में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लिए यह लाजमी है कि वह निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रक्रियाओं को उनके वास्तविक अर्थों में आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका अदा करे। 'एक्शन प्लान' में निर्धारित किया गया उद्देश्य, जिसे प्रधान मन्त्री ने जून 1988 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया था, सभी परमाणु अस्त्रों को समाप्त करने और परम्परागत शस्त्रों और सेनाओं को न्यूनतम सुरक्षा-स्तर तक लाने का होना चाहिए जिससे ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण हो सके जिसका मूलाधार अहिंसा हो।

39. हमारे क्षेत्र में दक्षेस के माध्यम से सहयोग की प्रक्रिया के ठोस परिणाम मिलने आरम्भ हो गए हैं। लोगों के बीच सम्पर्क सूत्रों का विस्तार आरम्भ हो गया है जिससे क्षेत्रीय सहयोग को एक जन आन्दोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। खाद्य संरक्षण और आतंकवाद के दमन के क्षेत्र में समझौते हुए हैं। वर्ष 1989 को नशीली दवाइयों के सेवन के विरुद्ध दक्षेस वर्ष घोषित किया गया है। नशीली दवाइयों के अवैध व्यापार, इस क्षेत्र के देशों में इनको लाने-ले-जाने की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी और नशीली दवाइयों के सम्बन्ध में परामर्श सम्बन्धी विचारों के आदान-प्रदान में भी एक उपयोगी शुरुआत की गई है। पर्यावरण की सुरक्षा और दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में कार्यवाही के लिए विस्तृत अध्ययन का कार्य आरम्भ हो गया है। मूल आवश्यकताओं पर क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने से क्षेत्र की एक जैसी समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित करने में मदद मिलेगी।

40. प्रधान मन्त्री के हाल ही के चीन के दौरे के साथ हमने चीन के साथ अपने सम्बन्धों में एक नई तथा सार्थक शुरुआत की है। चीनी नेताओं से हुए सद्भावपूर्ण और रचनात्मक विचार-विमर्श ने दोनों देशों के बीच स्थायी, शांतिपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी सम्बन्धों का रास्ता प्रशस्त किया है। यह क्षेत्रीय और विश्व शांति के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि भारत और चीन दोनों मिलकर सम्पूर्ण मानव जाति का एक तिहाई हिस्सा हैं। आर्थिक सम्बन्ध, व्यापार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एक संयुक्त ग्रुप बनाया जाना है। सीमा विवाद को उचित, तर्कसंगत और एक-दूसरे को स्वीकार्य तरीके से हल करने के लिए एक संयुक्त कार्य दल का गठन किया जा रहा है। अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों में तथा एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के लिए एक आधार के रूप में दोनों देशों ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों में अपनी आस्था पुनः व्यक्त की है।

41. हमने पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गयी सरकार का स्वागत किया है। तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने के लिए हम नई सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा रखते हैं। प्रधान मन्त्री ने इस्लामाबाद की अपनी यात्रा के दौरान प्रधान मन्त्री बेनजीर भुट्टो के साथ विस्तृत बातचीत की। इसके परिणामस्वरूप तीन करारों पर हस्ताक्षर हुए जिनसे परस्पर विश्वास बढ़ने और हमारे लोगों के बीच ज्यादा मेलजोल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हमने इस रचनात्मक बातचीत को आगे जारी रखना स्वीकार किया है।

42. भारत-श्रीलंका समझौते के प्रावधानों को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है जिससे श्रीलंका की एकता और क्षेत्रीय अखंडता के दायरे के अन्दर तमिलों की न्यायोचित आकांक्षाओं की पूर्ति हुई है। उत्तर-पूर्वी राज्य परिषद् के चुनाव कराए गए और अब वहां जनता द्वारा चुनी गई सरकार कायम है। तमिल को राजभाषा बनाने और भारतीय मूल के राज्यहीन तमिलों की काफी समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए कानून बनाया गया है। राष्ट्रपति और संसद के चुनाव सफलता-

पूर्वक सम्पन्न हुए हैं। स्थिति में सुधार होने के कारण हमने सेना की कुछ टुकड़ियां हटा ली हैं। हमारी सशस्त्र सेना ने जिस निष्ठा और बहादुरी से अपने कर्त्तव्यों का पालन किया है उसकी हम सराहना करते हैं।

43. हमारे पड़ोसी मित्र मालदीव को अपनी स्वतन्त्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र खतरे का सामना करना पड़ा। इस खतरे का मुकाबला करने में मालदीव की सहायता के अनुरोध पर हमने तुरन्त कार्रवाई की।

44. सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव को उनके साहसी एवं सूझबूझ-पूर्ण प्रयासों के लिए जिन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान किया है, इन्दिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और सोवियत संघ के सम्बन्धों ने घनिष्ठता, व्यापकता और महत्व की नयी ऊंचाइयों को छू लिया है। सोवियत संघ से अपनी मित्रता को हम कितना महत्व देते हैं, यह दोनों देशों के नेताओं की अनेक यात्राओं से स्पष्ट है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव के साथ अनेक विषयों पर प्रधान मन्त्री द्वारा किए गए विचार-विमर्श ने दोनों देशों के बीच आपसी समझ को और सुदृढ़ किया है, परस्पर आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया है और भावी सहयोग को एक नई दिशा प्रदान की है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का हमारा कार्यक्रम विशेष रूप से आशाजनक है। भारत उत्सव के समापन समारोह के अवसर पर मेरी सोवियत संघ यात्रा ने सोवियत नेताओं के साथ लाभदायक विचार-विमर्श का अवसर प्रदान किया। इन उत्सवों ने हमारे लोगों के बीच मित्रता, सद्भावना और आपसी समझ को बढ़ाया है।

45. संयुक्त राज्य अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी सुधार हुआ है तथा तकनीकी आदान-प्रदान और परस्पर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र का विस्तार हुआ है। संयुक्त राज्य अमरीका व्यापार में अब हमारा सबसे बड़ा सहभागी है और उच्च प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण स्रोत है। रचनात्मक सम्बन्धों की स्थापना और एक दूसरे के विचारों को समझने की आवश्यकता के प्रति दोनों देश पहले की अपेक्षा अधिक सचेत हैं।

46. अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी का काम पूरा हो गया है। समय का तकाजा है कि एक शान्तिपूर्ण राजनीतिक समझौता सम्पन्न हो ताकि उस देश में और अधिक खून-खराबे को रोका जा सके और शरणार्थियों की सुरक्षित वापसी के लिए जरूरी हालात बनाए जा सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की स्वतन्त्रता, अखण्डता और गुट-निरपेक्ष हैसियत सुनिश्चित करने के लिए जेनेवा समझौते का सभी सम्बन्धित पक्षों द्वारा पालन किया जाए।

47. भारत उन पहले देशों में से है, जिन्होंने स्वतन्त्र फिलिस्तीनी राज्य को पूर्ण मान्यता प्रदान की है। अध्यक्ष यासर अराफात परामर्श के लिए दिल्ली आए थे। हमने संयुक्त राज्य अमरीका और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच बातचीत की शुरुआत का स्वागत किया है। हम आशा करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में पश्चिम एशिया पर अन्तर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन शीघ्र बुलाना सम्भव होगा और उसमें सभी सम्बन्धित पक्ष भाग ले सकेंगे।

48. कम्पूचिया की समस्या के समाधान में प्रगति होने के आसार हैं। हम सभी सम्बन्धित पक्षों से सम्पर्क बनाए हुए हैं। प्रधान मन्त्री ने वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी नुयान वान लिन्ह से विस्तृत विचार-विमर्श किया था। हम ऐसा राजनीतिक हल तलाश करने के प्रयासों में सहायता करने के लिए

तैयार हैं, जिससे कम्पूचिया की प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतन्त्रता और गुट-निरपेक्षता सुनिश्चित हो सके।

49. नामीबिया के बारे में हुए समझौतों का हमने स्वागत किया है। स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया में रोड़े अटका कर नामीबिया को आजादी के हस्तांतरण को विफल करने की प्रिटोरिया की किसी भी चाल को शुरू में ही नाकाम करना जरूरी है। रंगभेद समाप्त करने के लिए प्रिटोरिया पर अन्तर्राष्ट्रीय दबाव अवश्य बनाए रखा जाना चाहिए। फिजी में भी जातीय भेदभाव को जीवन-शैली का अंग बनाने के सभी प्रयासों का डटकर विरोध किया जाना चाहिए।

50. वर्ष के दौरान मैंने सोवियत संघ, मंगोलिया, नीदरलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, साइप्रस, भूटान और पाकिस्तान की यात्रा की। उप-राष्ट्रपति ने मारीशस, ट्रिनिदाद-टोबागो, गुयाना तथा सूरीनाम की यात्रा की। प्रधान मन्त्री ने जापान, वियतनाम, सीरिया, जर्मन संघीय गणराज्य, हंगरी, जोर्डन, युगोस्लाविया, स्पेन, तुर्की, चीन और पाकिस्तान की यात्रा की। इन यात्राओं से आपसी समझ और सहयोग बढ़ा है। हमारे यहां भी विदेशों के अनेक राजनेता आए। इनमें कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के प्रधान मंत्री, सिंगापुर के प्रधान मंत्री, जोर्डन के युवराज, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, मोजाम्बीक के राष्ट्रपति, बंगलादेश के राष्ट्रपति, नेपाल, नरेश, कीनिया के राष्ट्रपति, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष, अंगोला के राष्ट्रपति, नीदरलैंड के प्रधान मन्त्री, मारीशस के गवर्नर जनरल, कम्पूचिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य के प्रधान मन्त्री, स्वापो केअध्यक्ष, राष्ट्रपति गोर्बाचोव, मालदीव के राष्ट्रपति, माल्टा के प्रधानमन्त्री, वियतनाम के साम्यवादी दल के महासचिव, फ्रांस के राष्ट्रपति और आस्ट्रेलिया के प्रधान मन्त्री शामिल हैं।

51. हमारे आगे कठोर चुनौतियां और उत्साहपूर्ण अवसर हैं। आप जनता की इच्छा-शक्ति के मूर्त प्रतीक हैं। आप पर लोगों के स्वप्न को साकार करने की भारी जिम्मेदारी है। हम सामाजिक परिवर्तन के लिए एक ऐसा महानतम प्रयास कर रहे हैं जो मानव जाति के इतिहास में इस प्रकार का प्रथम प्रयास है। यह कार्य इतना महान है और कभी-कभी इतना हतोत्साह करने वाला है कि हम प्रायः यह सोचकर किंकर्तव्यविमूढ़ रह जाते हैं कि इस दिशा में कितना कुछ और किया जाना बाकी है। इस दिशा में हमारी जो उपलब्धियां हैं, कभी-कभी हम उनके महत्व को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। इसके लिए एक संतुलित दृष्टि अपेक्षित है। पिछली अनेक शताब्दियों की तुलना में गत 40 वर्षों में अधिक विकास और अधिक सामाजिक न्याय हुआ है। हमारे लोग गरीबी की जंजीरों से मुक्त हो रहे हैं। इस गति को अभी और तेज करने की जरूरत है। हमारे युवाओं को अधिक व्यापक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इन अवसरों को अभी और तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। शताब्दियों से जो सामाजिक दमन और भेदभाव चले आ रहे हैं उनका अन्त हो रहा है। इस प्रक्रिया को अभी और तेज करना होगा। हमें इसमें सफलता मिलेगी और शीघ्र ही मिलेगी, क्योंकि हमारी नींव ऐसे ठोस सिद्धांतों पर है, जो हमें अपनी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता से विरासत में मिले हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे स्वतन्त्रता संग्राम की भट्ठी में तपकर खरे उतरे हैं और जिन्हें राष्ट्र-निर्माण के चालीस वर्षों में आजमाया और परखा गया है। यदि हम इन सिद्धांतों का सच्चाई से पालन करते रहेंगे और अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के प्रति निष्ठावान रहेंगे, तो इस संक्रमण काल से नए भारत का अभ्युदय होगा और वह अपना ध्येय प्राप्त करने में सफल होगा।

जय हिन्द

1.0½ म० प०

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, जैसाकि आपको विदित है जापान के सम्राट हिरोहितो का 7 जनवरी, 1989 को निधन हो गया था। उनके देश के लोग उनका आदर-सत्कार करते थे और उनके प्रति उनका बहुत प्यार था तथा उनके निधन से उन्हें बहुत दुःख हुआ है। उनके मार्गदर्शन के कारण ही जापान वर्तमान युग में संसार की एक बड़ी आर्थिक और टैक्नोलोजीकल शक्ति बना है। वे वैज्ञानिक और विद्वान थे और उन्होंने अन्त समय तक समुद्र-जीवविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान में गहरी रुचि रखी। वे हृदय से जापान के लोगों के हितचिन्तक थे। उनके शासन-काल में भारत-जापान सम्बन्ध बड़े सौहार्दपूर्ण रहे।

इस अवसर पर मैं जापान की सरकार वहां के लोगों और दिवंगत सम्राट हिरोहितो के परिवार के प्रति के गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार तथा उनकी जनता इस क्षति को धैर्यपूर्वक से सहन कर सके।

मैं सभा को इस दुखद बात की जानकारी देना अपना कर्त्तव्य मानता हूँ कि हमारे तीन भतपूर्व साथी अर्थात् सर्वश्री विरधारम फुलवाड़िया, रतनलाल ब्राह्मण और चपलाकान्त भट्टाचार्य अब हमारे बीच नहीं रहे हैं।

श्री विरधाराम फुलवाड़िया सातवीं लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1980-84 के दौरान राजस्थान के जालोर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पहले वह 1962-77 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री फुलवाड़िया व्यवसाय से एक किसान थे और जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने 1852-65 के दौरान भिनमाल नगर पालिका के सदस्य के रूप में कार्य किया।

उन्होंने अस्पृश्यता और जातिवाद के उन्मूलन में गहरी दिलचस्पी ली तथा निरक्षरता और गरीबी को दूर करने के लिए अथक प्रयत्न किया।

श्री फुलवाड़िया का निधन 16 दिसम्बर, 1988 को राजस्थान में भिनमाल में हुआ।

श्री रतनलाल ब्राह्मण पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और 1971-77 के दौरान पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग निर्वाचन-क्षेत्र से चुनकर आए थे। इससे पहले वह 1946-52 के दौरान पश्चिम बंगाल विधान सभा के सदस्य थे।

श्री ब्राह्मण एक जाने माने राजनीतिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने दार्जिलिंग नगरपालिका में आयुक्त के रूप में कार्य किया।

वह एक सक्रिय ट्रेड यूनियन नेता थे और विभिन्न ट्रेड यूनियनों में विभिन्न पदों पर रहे।

श्री ब्राह्मण का निधन 89 वर्ष की आयु में जनवरी, 1989 को आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में हुआ।

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य दूसरी तीसरी और चौथी लोक सभा (1957-70) के सदस्य रहे और पश्चिम बंगाल के क्रमशः पश्चिम दिनाजपुर और रायगंज निर्वाचन क्षेत्रों से चुन कर आये।

श्री भट्टाचार्य एक जाने-माने पत्रकार थे और विभिन्न पत्रकार संगठनों से विभिन्न रूपों में सम्बद्ध थे। वह आनन्द बाजार पत्रिका के सम्पादक थे तथा कलकत्ता से प्रकाशित "जनसेवक" के प्रमुख सम्पादक थे।

वह एक प्रकाण्ड पंडित थे और उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम किया, और कलकत्ता के संस्कृत साहित्य परिषद् के उपाध्यक्ष भी रहे। वह एक अच्छे लेखक थे और उन्होंने अंग्रेजी तथा बंगला में अनेक पुस्तकें लिखीं।

इन्होंने विश्व के अनेक देशों की यात्रा की और संस्कृत तथा बंगला साहित्य में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने इतिहास, पुरातत्व विज्ञान और राजनीतिक आन्दोलनों में अनुसंधान किया।

श्री भट्टाचार्य एक अच्छे संसदविज्ञ थे और उन्होंने सभा की कार्यवाही में गहरी दिलचस्पी ली और इस संबंध में मूल्यवान योगदान दिया।

श्री भट्टाचार्य का निधन 88 वर्ष की आयु में 16 जनवरी, 1989 को कलकत्ता में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा के सदस्य शोकसन्तप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करने में मेरा साथ देंगे।

अब सदस्यगण संवेदना व्यक्त करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

1.04 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रपति द्वारा जारी की उद्घोषणाएं जिनके द्वारा मिजोरम, नागालैंड और तमिलनाडु राज्यों के संबंध में उद्घोषणाओं को प्रतिसंहृत किया गया

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं संविधान अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत निम्नलिखित उद्घोषणा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1989 को जारी की उद्घोषणा, जिसके द्वारा मिजोरम के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 7 सितम्बर, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा, जो 24 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि०53 (अ) प्रकाशित हुई थी, को प्रतिसंहृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7208/89]

(दो) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी, 1989 को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा नागालैण्ड राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 7 अगस्त, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा, भी 25 जनवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 55(अ) में प्रकाशित हुई थी, को प्रतिसंहृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7209/89]

(तीन) संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2) अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वार 27, जनवरी को जारी की गई उद्घोषणा, जिसके द्वारा तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 30 जनवरी, 1988 को जारी की गई उद्घोषणा, जो 27 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 56 (अ) में प्रकाशित हुई थी, को प्रतिसंहृत किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7210/89]

आय-कर (संशोधन) अध्ययादेश, 1989

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 123(2)(क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी, 1989 को प्रख्यापित आय-कर (संशोधन) अध्यादेश 1989 (1989 का संख्या 1) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल०टी० 7211/89]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : श्री ए० के० पांजा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 1148(अ), जो 5 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जुलाई, 1984 की अधिसूचना संख्या 205/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि "14 जिप फास्टनरों और उनके भागों को" प्रतिस्थापित किया जा सके।

(दो) सा०का०नि० 1149(अ), जो 5 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 7 जनवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 5/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि "जिप फास्टन" शब्दों के स्थान पर "जिप फास्टनर और उनके भाग" शब्द प्रतिस्थापित किये जा सकें।

(तीन) का० आ० 1205, जो 27 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्राओं में बदलने की विनिमय दरें निर्धारित की गई हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा०का०नि० 1216(अ), जो 28 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 30 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 116/88-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि अग्रिम लाइसेंसधारक परिणामी निर्मित उत्पाद का अन्तरण अन्य अग्रिम लाइसेंसधारक को कर सके जो उसका इस्तेमाल निर्यात-उत्पादन के लिए मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में करता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा०का०नि० 1230(अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 की शर्तों के अनुसार भारत में अधिमान्य प्रवेश के लिए पात्र पाए गए नेपाली मूल के एक और उत्पाद को मदों की सूची में जोड़ा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा०का०नि० 1231(अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 की शर्तों के अनुसार भारत में अधिमान्य प्रवेश के लिए पात्र पाए गए नेपाली मूल के एक और उत्पाद को मदों की सूची में जोड़ा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा०का०नि० 1232(अ), जो 30 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 की शर्तों के अनुसार भारत में अधिमान्य प्रवेश के लिए पात्र पाए गए नेपाली मूल के एक और उत्पाद को मदों की सूची में जोड़ा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा०का०नि० 3(अ), जो 5 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी०शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि भारत-नेपाल व्यापार संधि, 1978 की शर्तों के अनुसार भारत में अधिमान्य प्रवेश के लिए पात्र पाए गए नेपाली मूल के एक और उत्पाद को मदों की सूची में जोड़ा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 7212/89]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का०आ० 182, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ

था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "महाराष्ट्र स्टेट बीमैन्स काउन्सिल, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दो) का०आ० 183, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दी इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तीन) का०आ० 184, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आन्ध्र महिला सभा, हैदराबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चार) का०आ० 185 जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "इंस्टीट्यूट ऑफ एनीमल हैल्थ एण्ड वैटेरिनरी बायोलोजिकल्स, हैबल, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पांच) का०आ० 186, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "स्वामी रामानन्द तीर्थ मैमोरियल कमेटी, हैदराबाद" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(छह) का०आ० 187, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कृष्णामूर्ति फाउन्डेशन इंडिया, मद्रास" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सात) का०आ० 188, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "संगीत महाभारती, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 में 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(आठ) का०आ० 189, जो 28 जनवरी, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दी भारत स्काउट्स एण्ड गाइड्स" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का०आ० 190, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत

"आर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इण्डिया" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(दस) का०आ० 191, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "शरत, समिति, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का०आ० 192, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "जहांगीर आर्ट गैलरी, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बारह) का०आ० 193, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "डिवाइन लाइट ट्रस्ट फार दि ब्लाइण्ड, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(तेरह) का०आ० 194, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "खेलघर शिशु निवास और शिक्षा केन्द्र, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(चौदह) का०आ० 195, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "कर्नाटक, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, बंगलौर" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) का०आ० 196, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर, राजस्थान" को कर-निर्धारण वर्ष 1987-88 से 1989-90 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सोलह) का०आ० 197, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1989-90 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(सत्तरह) का०आ० 198, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दी टाटा एग्रीकल्चरल एंड रूरल ट्रेनिंग सेंटर फॉर दी ब्लाइण्ड" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(अठारह) का०आ० 199, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दी चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(उन्नीस) का०आ० 200, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "दी मोती लाल मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ" को कर-निर्धारण वर्ष 1988-89 की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(बीस) का०आ० 201, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "श्री गाडगे महाराज मिशन, बम्बई" को कर-निर्धारण वर्ष 1986-87 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) का०आ० 202, जो 28 जनवरी, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "आल बंगाल वीमन्स यूनियन, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1988-89 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 7213/89]

1.05 म० प०

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि लोक सभा सचिवालय में श्री राजमंगल पाण्डे से, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य थे, दिनांक 12 जनवरी, 1989 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्यागपत्र 12 जनवरी, 1989 से स्वीकार कर लिया है।

मुझे सभा को यह भी सूचित करना है कि मुझे श्री आर० अण्णानम्बी से, जो तमिलनाडु के पोल्लाची निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य थे, दिनांक 30 जनवरी, 1989 का एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। मैंने उनका त्याग-पत्र 2 फरवरी, 1989 से स्वीकार कर लिया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : उन्होंने त्यागपत्र क्यों दे दिया है?

अध्यक्ष महोदय : वह वहां के सदन के लिए निर्वाचित हो गये हैं।

एक माननीय सदस्य : श्री पाण्डे के त्यागपत्र के संबंध में आप क्या कहते हैं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो कोई कारण नहीं बताए गए हैं, महोदय । सीधी सी बात है । आप जानते हैं, जी ।

[हिन्दी]

अब जागते हुए को कौन जगाए ।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक (पणजी) : महोदय, उनके दल की स्थिति क्या है ? हमें बताइए । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : वह जानना चाहते थे जो उस पत्र में नहीं लिखा हुआ है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । अब जागते हुए को कौन जगाए ।

(व्यवधान)

1.06 म० प०

रेल विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं रेलों से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

1.06½ म० प०

रेल विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

साक्ष्य

[अनुवाद]

श्री अरविन्द नेताम (कांकेर) : मैं रेलों से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गए साक्ष्य का रिकार्ड सभा पटल पर रखता हूं ।

1.07 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 फरवरी, 1989/3 फाल्गुन, 1910 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

दी स्टील स्लेट मैं० कं० (प्रैस विभाग) अजमेरी गेट, दिल्ली-6